निर्णय अज अदालत अभिलाषा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

मु0नं0 119/19 निर्णय दिनांकः—08.01.2021

1. औकार पुत्र बिरबल जाति जाट निवासी इस्माईलपुर (लाखु) तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
2. दयानन्द पुत्र बिरबल जाति जाट निवासी इस्माईलपुर (लाखु) तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
3. नारायणी पत्नी स्व0 सहीराम जाति जाट निवासी इस्माईलपुर (लाखु) तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
4. गंगा देवी पत्नी भादर जाति जाट निवासी इस्माईलपुर (लाखु) तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
5. मदनलाल पुत्र भादर जाति जाट निवासी इस्माईलपुर (लाखु) तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
6. बिरमा पुत्री भादर पत्नी शैतानसिंह जाति जाट निवासी इस्माईलपुर (लाखु) तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
7. मोहनी पुत्री भादर पत्नी शेरसिंह जाति जाट निवासी इस्माईलपुर (लाखु) तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
8. पुनित कुमार पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी इस्माईलपुर (लाखु) तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
9. अभिलाषा पुत्री ख्यालीराम जाति जाट निवासी इस्माईलपुर (लाखु) तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
10. कमला देवी पत्नी ख्यालीराम जाति जाट निवासी इस्माईलपुर (लाखु) तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
11. विमल कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी इस्माईलपुर (लाखु) तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
12. सुमन पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी इस्माईलपुर (लाखु) तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
13. जीवणी देवी पत्नी बनवारीलाल जाति जाट निवासी इस्माईलपुर (लाखु) तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
14. भूराराम पुत्र गणपत जाति जाट निवासी इस्माईलपुर (लाखु) तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
15. मोहरसिंह पुत्र गणपत जाति जाट निवासी इस्माईलपुर (लाखु) तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

बनाम

——वादीगण

1. रेशमी पत्नी भगवाना जाति जाट निवासी इस्माईलपुर (लाखु) तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
2. राजवीर पुत्र भगवाना जाति जाट निवासी इस्माईलपुर (लाखु) तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
3. सतवीर पुत्र भगवाना जाति जाट निवासी इस्माईलपुर (लाखु) तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
4. रोहिताश पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी इस्माईलपुर (लाखु) तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
5. महताब पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी इस्माईलपुर (लाखु) तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
6. यादराम पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी इस्माईलपुर (लाखु) तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:04:28 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

7. शेरसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी इस्माईलपुर (लाखु) तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
8. शांति देवी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी इस्माईलपुर (लाखु) तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
9. सुरेश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी इस्माईलपुर (लाखु) तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
10. कमला पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी इस्माईलपुर (लाखु) तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
11. राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

------प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगण – श्री रामेश्वर दयाल
प्रतिवादीगण –

दावा घोषणा रिकार्ड दुरस्ती एवं विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप तथ्य निम्न प्रकार है कि वाके ग्राम ईस्माइलपुर (लाखु) मे रतु वल्द दुला कोम जाट ने ठिकाना बिसाऊ से भूमि गत खसरा न0 101 रकबा 12 बीघा 14 बिश्वा, खसरा न0 102 रकबा 7 बीघा 9 बिश्वा, खसरा न0 109 रकबा 7 बिश्वा, खसरा न0 122 रकबा 7 बीघा 17 बिश्वा, खसरा न0 142 रकबा 12 बीघा 13 बिश्वा कुल 41 बीघा पुख्ता भूमि लगान पर लेकर काश्त करना प्रारम्भ किया और लगान ठिकाने को अदा करने लगा। राजस्थान में टेनेंनसी एक्ट लागु हुआ तब उक्त भूमि का बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार काश्तकार हो गया। रतु का स्वर्गवास सन् 1957 में हो गया। रतु के दो पुत्र गणपत व बीरबल हुए। रजु की वंशावली वाद पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज है। वादीगण गणपत व बीरबल के वारिसान है। उपरवर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड सन् 2012 से 2035 तक रतु व रतु के स्वर्गवास के बाद गणपत व बीरबल के नाम दर्ज चलती रही तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2035 तक दोनो की काश्त दर्ज रही है उक्त भूमि वादीगण की पैत्रक कृषि भूमि है।

सन 1977–78 में भू–प्रबन्ध की कार्यवाही हुई जिसमें गत खसरान ने हाल ख0न0 159, 160, 161, 162, 167, 210, 234, 235, 236, 237, 151, 152 कुल रकबा 10.31 है0 कायम किये, सेटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान भूमि गत ख0न0 101, 109, 122, 142 से नया राजस्व रिकार्ड सही दर्ज हुआ परन्तु [illegible] रकबा 7 बीघा 9 बिश्वा हाल ख0न0 151 रकबा 0.75 है0, ख0न0 152 रकबा [illegible] है0 [illegible] ख0न0 162 रकबा 0.66 है0 कायम किया जो नक्शा शीट मिलान से [illegible] 152 की गत ख0न0 103 से बनना गलत दर्ज किया है। सैटलमेंट विभाग ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना भूमि हाल ख0न0 151 रकबा 0.75 है0 की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज कर दी एवं ख0न0 152 की खातेदारी रामनिवास पुत्र भोमाराम की खातेदारी में गलत दर्ज कर वादीगण की खातेदारी समाप्त कर दी गई जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:04:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उनको क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था उक्त गलत राजस्व रिकार्ड को वादीगण दुरस्त करवाने के अधिकारी है।

वादी न0 14 ने जब अपनी भूमि पर बैक से लोन लेने के लिए हल्का पटवारी से मिला तब हल्का पटवारी ने बताया की ख0न0 151 एवं 152 आपकी खातेदारी में दर्ज नही तब उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी होने पर ख0न0 152 के खातेदार रामनिवास ने तो वादीगण की सहमति से वादी न0 14 की पत्नी किस्तुरी देवी के नाम करवा दी परन्तु भूमि ख0न0 151 जो प्रतिवादीगण की खातेदारी में गलत दर्ज चली आ रही है ने दिनांक 18.05.2019 को नाम करवाने से साफ इन्कार कर दिया और ताकत के बल पर बेदखल करने की धमकी देने पर वादीगण को यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ अन्त में वादीगण ने निवेदन किया कि भूमि खेत ख0न0 151 रकबा 0.75 है0 स्थित ग्राम ईस्माइलपुर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रतिवादी न0 1 लगायत 10 का नाम हज्फ किया जाकर उनके स्थान पर वादी न0 1 लगायत 3 को 1/2 बहिस्सा बराबर का, वादी न0 4 लगायत 7 को 1/10 बहिस्सा बराबर का, वादी न0 8 लगायत 10 को 3/120 बहिस्सा बराबर का, वादी न0 11,12,13 को सयुक्त रूप से 1/8 हिस्से का तथा वादी न0 14 व 15 को 1/8 – 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर दावा डिक्री किया जावे व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जा काश्त मे दखल नही पहुँचायें।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादीगण बावजूद तामील हाजिर न होने से उनके खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य पी–डब्ल्यू–1 दयानन्द, पी–डब्ल्यू–2 मदनलाल का शपथ पत्र पेश किया गया व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत 18 प्रदर्शित करवाये गये। बहस वकील वादी सूनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर वादी के अभिवचनो व प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन मे कोई अभिवचन व साक्ष्य नही है। राजस्व के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि भूमि गत ख0न0 101 रकबा 12 बीघा 14 बिश्वा, ख0न0 102 रकबा 7 बीघा 9 बिश्वा, ख0न0 109 रकबा 7 बिश्वा, खसरा न0 122 रकबा 7 बीघा 17 बिश्वा, खसरा न0 142 रकबा [illegible] बीघा [illegible] बिश्वा कुल किता 5 कुल रकबा 41 बीघा पुख्ता से हाल ख0न0 159 रकबा [illegible] है0, ख0न0 160 रकबा 2.39 है0, ख0न0 161 रकबा 0.62 है0, ख0न0 162 रकबा [illegible] है0, ख0न0 167 रकबा 0.03 है0, ख0न0 210 रकबा 1.98 है0, ख0न0 234 रकबा 0.84 है0, ख0न0 235 रकबा 0.85 है0, ख0न0 236 रकबा 0.75 है0 ख0न0 237 रकबा 0.76 है0, ख0न0 151 रकबा 0.75 है0 ख0न0 152 रकबा 0.67 है0, कुल रकबा 10.31 है0 कायम हुए। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से यह साबित होता है कि भूमिगत ख0न0 102 रकबा 7 बीघा 9 बिश्वा से हाल खसरा न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:04:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

151,152,162 कायम हुये खसरा न0 151 व 152 कि खातेदारी हाल सेटलमेट अधिकारियों व कर्मचारियों ने गलत रूप से दर्ज कि है तथा उनके खाते भी अलग–अलग दर्ज किये है। हाल खसरा न0 152 कि खातेदारी रामनिवास के नाम गलत दर्ज थी इसने वादी न0 14 की पत्नी के नाम वादीगण कि सहमति से वापिस दर्ज करवा दी परन्तु हाल खसरा न0 151 कि खातेदारी आज भी प्रतिवादी 1 लगायत 10 कि नाम गलत रूप से दर्ज चली आ रही है। भू–प्रबन्ध विभाग ने वादीगण कि खातेदारी की भुमि को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश खातेदारी हज्फ कर प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 के नाम दर्ज कर उनका खाता अलग दर्ज कर दिया । वकील वादी कि और से अपने बहस के दौरान पेश नजीर आरआरटी 2018(1)292, 299 आरआरटी 2008(10) पेज न0 151, आरआरटी 2020(1) पेज न0 235 से यह साबित होता है कि भ–प्रबन्धक विभाग ने वादीगण के पूर्वज गणपत, बिरबल पुत्र रत्तु का नाम बिना क्षेत्राधिकारिता के विलोपित किया सैंटलमेट विभाग को पूर्व में अंकित इन्द्राज को चेन्ज करने का अधिकार नही था इसलिये वकील वादी कि उपरोक्त नजीर वादपत्र पर चस्पा होते है। सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत साक्ष्य से वादीगण का वादपत्र साबित होता है। इसलिये वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है कि भूमि खेत खसरा न0 151 रकबा 0.75 है0 स्थित ग्राम इस्माइलपुर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज 1 लगायत 10 का नाम हज्फ किया जाता है उनके स्थान पर वादीगण 1 लगायत 15 को सयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस भूमि में वादी न0 1 लगायत 3 को बहिस्सा बराबर 1/2 का, वादी न0 4 लगायत 7 को बहिस्सा बराबर 1/10 का, वादी न0 8 लगायत 10 को बहिस्सा बराबर 3/120 का, वादी न0 11,12,13 को सयुक्त रूप से हिस्सा 1/8 का तथा वादी न0 14 व 15 को हिस्सा 1/8 – 1/8 के अलग–अलग खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। पर्चा डिक्री मुर्तिब हो तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह मुताबिक डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमिल जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:04:28 IST
Reason: SelfAttested

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

Scanned with CamScanner